

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर  
पीठासीन अधिकारी—श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 51/16

तारीख रजू— 08/03/16

हजारी पुत्र हरिया जाति बैरवा निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगपुरसिटी।  
बनाम

----- अपीलार्थी

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तलावडा।

----- रेस्पो०

निर्णय

दिनांक—29/06/2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, तलावडा द्वारा मिसल संख्या 609/14 में पारित आदेश दिनांक 05/11/2015 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अपीलार्थी द्वारा मोके से कब्जा नहीं हटाने पर पूर्व निर्णय की पालना में सिविल कारावास के बिन्दु पर गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पो० की ओर से राजकीय परोकार शपथ आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत में रखा गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने भू-अभिलेख निरीक्षक की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है क्योंकि भू-अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया है कि अतिक्रमित रकवे पर अपीलार्थी ने क्या फसल काश्त की है अथवा किस तरह अतिक्रमण किया है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि भू-अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का अपीलार्थी से विशेष विद्वेष रखते हैं तथा विद्वेष के कारण ही यह गलत रिपोर्ट अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है मोके की वस्तुस्थिति जानने की कोशिश नहीं की है जबकि अपीलार्थी ने सम्पूर्ण अतिक्रमित रकवे पर से कब्जा शपथ पत्र अदालत मातहत में देने से पूर्व ही हटा लिया था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत निरस्त फरमाया जावे।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 27/05/15 की पालना में अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।


उभय पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 27/05/15 की पालना में अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कब्जा हटाने का शपथ पत्र अदालत मातहत में पेश किया है तथा भू-अभिलेख निरीक्षक से मोके से अतिक्रमण हटाने की जानकारी चाही है जिस पर भू-अभिलेख निरीक्षक ने मोके की रिपोर्ट दिनांक 05/11/15 को अदालत मातहत में पेश की है। मोका रिपोर्ट में मोके पर वर्तमान में अपीलार्थी का कब्जा होना बताया है। अदालत हाजा ने भी

अपील संख्या 51/16 हजारी/सरकार

अदालत मातहत से अपीलार्थी के अतिक्रमित रकवे की वर्तमान कब्जा रिपोर्ट मंगवायी है जिसमे उन्होंने पत्राक 418 दिनांक 27/06/16 से अवगत कराया है कि अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं है मोक़े पर भूमि खाली पडी है तथा भूमि मवेशियो के चरने के काम आ रही है। भू-अभिलेख निरीक्षक की 05/11/15 को अदालत मातहत मे प्रस्तुत मोक़े की रिपोर्ट व अदालत मातहत द्वारा दिनांक 27/06/16 को अदालत हाजा मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे भिन्नता है तथा अदालत मातहत ने इस न्यायालय मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे वर्तमान मे भूमि खाली होना बताया है। अतः लोक अदालत की भावना से अपीलार्थी के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाया जाकर अपील अपीलार्थी सशर्त स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अदालत मातहत को इस शर्त के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रतिप्रेषित की जाती है कि यदि अपीलार्थी का अतिचार अतिक्रमित आराजी पर संवत 2073 खरीफ़ मे नहीं पाया जावे तो अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय निरस्त समझा जावे ओर यदि अपीलार्थी का अतिचार पाया जावे तो अपीलाधीन निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29/06/16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

  
(भगवत सिंह देवल)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर